

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2020—माघ 4, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2020

क्र. 1364-21-इक्कीस-अ (प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 जनवरी, 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २०२०

मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) निरसन अधिनियम, २०१९

[दिनांक २१ जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ जनवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, १९७४ का निरसन करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) निरसन अधिनियम, २०१९ है.

अधिनियमित का निरसन.

२. मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1974 (क्रमांक ३८ सन् १९७४) एतद्वारा संपूर्ण रूप से निरसित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2020

क्र. 1364-21-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) निरसन अधिनियम, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 8 OF 2020

THE MADHYA PRADESH VIDYUT PRADAYA UPAKRAM (ARJAN) NIRSAN
ADHINIYAM, 2019

[Received the assent of the Governor on the 21st January, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazettee (Extra-ordinary)", dated the 24th January, 2020].

An Act to repeal the Madhya Pradesh Vidyut Pradaya Upakram (Arjan) Adhiniyam, 1974.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidyut Pradaya Upakram (Arjan) Nirsan Adhiniyam, 2019.

Repeal of enactment.

2. The Madhya Pradesh Vidyut Pradaya Upakram (Arjan) Adhiniyam 1974 (No. 38 of 1974) is hereby repealed in its entirety.